

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ०संख्या-01/स्था०क्षे०-14/पार्ट-

पटना, दिनांक-

जून, 2026

कार्यालय आदेश

गन्ना उद्योग विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नांकित कर्मियों को उनके वर्तमान पद (उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक) पर प्रशासनिक, कार्यहित एवं अभ्यावेदन के आलोक में स्थानांतरित करते हुए कॉलम-4 में अंकित कार्यालय/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकेश कुमार कपूर, निम्नवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	
2.	श्री रधीर कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	ईख पदाधिकारी, सिवान	-	सभी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
3.	श्री राकेश कुमार यादव, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ	ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किया जाता है।
4.	श्री रंजन कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	-	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई कार्यालय का प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है।

2. कर्मियों का आवेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जा रहा है, अतएव यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
3. स्थानांतरित कर्मियों को जुलाई, 2026 का वेतन नवपदस्थापन कार्यालय से प्राप्त होगा।
4. यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझा जाय।

ह०/-

(अनिल कुमार झा)

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

जून, 2026

प्रतिलिपि:- सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/सभी संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सभी संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी संबंधित विशेष ईख पदाधिकारी/सभी संबंधित ईख पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी कर्मियों को अविलम्ब विरमित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—

पटना, दिनांक—

जून, 2026

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—

पटना, दिनांक—

जून, 2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—

पटना, दिनांक—

जून, 2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

ईख आयुक्त, बिहार।

पत्रांक :- 159/CC /

/पटना, दिनांक—

30 जून, 2026

प्रतिलिपि :- आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईख आयुक्त, बिहार।